

मि. सं. 29-01/2022-स्थापना/आर.टी.आई. /2994-3001

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,  
आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,  
नई दिल्ली-110012

दिनांक: 15 दिसंबर, 2022

सेवा में,

Sh. Vinod Kumar Gupta,  
Shahpur, Geeta Vatika,  
Gorakhpur – 273006,  
(Uttar Pradesh)

विषय: आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति – श्री विनोद कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या: DOEXT/R/E/T/22/00094 दिनांक 23.11.2022) **DOEXT/R/T/22/00102 dt 2/12/2022**

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्याओं का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

माँगी गई जानकारी	जवाब
1. इस एफ.पी.ओ. को किसानों के हित में बनाई गई अपने मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं व किसान सशक्तिकरण से संबंधित सूचना एवं छाया प्रति हिंदी में उपलब्ध कराने की कृपा करें।	जहाँ तक विस्तार निदेशालय का संबंध है इस निदेशालय की आत्मा योजना, किसानों के कल्याण एवं विकास हेतु वर्ष 2005 से अमल में है। यह योजना वर्तमान में 28 राज्यों एवं 5 केन्द्र शासित प्रदेशों के 704 जिलों में क्रियान्वित है (जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले शामिल हैं)। आत्मा योजना के अन्तर्गत किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकी की जानकारी दी जाती है। नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण दौरे, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक-वैज्ञानिक-परिचर्चा, फार्म-स्कूल इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित भी किया जाता है।  श्री विनोद कुमार गुप्ता जी को सलाह दी जाती है कि वह आत्मा योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी हेतु Director of Agriculture & State Nodal ( ATMA), Govt. of Uttar Pradesh, Department of Agriculture, Krishi Bhavan, Lucknow- 226 001(Uttar Pradesh) से संपर्क कर सकते हैं।
2. एफ.पी.ओ. से संबंधित कार्य की छाया प्रति देने की कृपा करें।	आत्मा योजना के आत्मा योजना के दिशा-निर्देश <a href="http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf">http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf</a> वेब लिंक पर क्लिक कर देखें जा सकते हैं।

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),  
विस्तार निदेशालय,  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,  
कमरा संख्या 204, कृषि विस्तार सदन,  
पूसा, नई दिल्ली-110 012,

दूरभाष:- 011-25849881 व ई-मेल पता:-[shailesh.mishra29@gov.in](mailto:shailesh.mishra29@gov.in)

भवदीया

श.शान्ति

(एस. भानुमति)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)/प्रभारी

दूरभाष:- 011.25846467

**प्रतिलिपि:-**

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी ( आर.टी.आई ), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट [www.krishivistar.gov.in](http://www.krishivistar.gov.in). पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।